न्यायालयः–अपर सिविल जज(सी0डि0) कक्ष सं0–6, बरेली।
उपस्थितः–जसवीर सिंह यादव , (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

परिवाद संख्या–446 / 2019
CNR NO. - UPBR05-018343-2019

1–श्रीमती वीना पत्नी सुरेश चन्द्र। .....परिवादिनी।

निवासी विलियम वाली गली, तिलक कालोनी, सुभाषनगर, थाना सुभाषनगर, जिला बरेली।

बनाम

1–विनोद कुमार पुत्र गंगाधर।

2–अंकित पुत्र विनोद कुमार।

3–सुशीला पत्नी विनोद कुमार।

निवासीगण तिलक कालोनी सुभाषनगर सभासद वाली गली, थाना सुभाषनगर, बरेली।

4–विजय कुमार पत्र मुरारीलाल, निवासी स्टेशन रोड बिलपुर थाना फतेहगंज पूर्वी, बरेली।

अभियुक्तगण।

अन्तर्गत धारा–452, 323, 504 भा0दं0सं0।

थाना–सुभाषनगर, जिला–बरेली।

निर्णय

परिवादिनी द्वारा यह परिवाद–पत्र विपक्षीगण विनोद, विजय, अंकित व सुशीला के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें सभी अभियुक्तगण को आदेश दिनॉकित 25.03.2019 द्वारा धारा– 452, 323, 504 भा0दं0सं0 के तहत विचारण हेतु तलब किया गया।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि दिनॉक 04.02.2018 को समय करीब 10 बजे सुबह घटनास्थल वहद स्थान तिलक कालोनी सुभाषनगर, थाना सुभाषनगर, जिला बरेली में आप वादिनी बीना के घर में उसकी सहमति के बिना घुस आये और उसकी बेटी द्वारा किये गये मुकदमें में फैसले का दबाव बनाने लगे, गृहअतिचार किया। परिवादिनी बीना को मारापीटा व गन्दी–गन्दी गलियॉ दी।

परिवाद के समर्थन में परिवादिनी द्वारा स्वयं को अर्न्तगत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा अविनाश व सुरेश चन्द्र को धारा–202 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया। परिवादिनी व गवाहान के बयानात के आधार दिनॉक 25.03.2019 को अभियुक्तगण विनोद, विजय, अंकित व सुशीला को धारा– 452, 323, 504 भा0दं0सं0 के तहत आहूत किया गया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को सम्मन भेजा गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुये तथा अपनी–अपनी जमानतें कराई।

पारिवादिनी की ओर से साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 द0प्र0सं0 हेतु पी0डब्लू0–1 के रूप में स्वयं को तथा पी0डब्लू0 2 के रूप में सुरेश चन्द्र तथा पी0डब्लू0–3 के रूप में अभिनाश को परीक्षित कराया गया। परिवादिनी साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगणो के विरूद्ध दिनॉक 16.01.2020 को धारा– 452, 323, 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप को विरचित किया गया। जिस पर अभियुक्तगणों ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

मौखिक साक्ष्य हेतु धारा–246 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत् परिवादिनी की ओर से पी0डब्लू0–1 के रूप में स्वयं को एवं पी0डब्लू0–2 सुरेश चन्द्र एवं पी0डब्लू0–3 के रूप में अविनाश को परीक्षित कराया गया है। तत्पश्चात परिवादिनी द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया कि परिवादिनी को और साक्ष्य नही देना है। तदनुसार न्यायालय द्वारा परिवादिनी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण के बयान अर्न्तगत् धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने गलत वाद चलने व गवाहों द्वारा गलत गवाही दिये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई देने से इंकार किया।

मैने परिवादी एवं अभियुक्तगणों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–1 श्रीमती वीना पत्नी सुरेश चन्द्र स्वयं परिवादिनी ने अपनी मुख्य परीक्षा अन्तर्गत धारा 244 दं0प्रं0सं0 में परिवाद पत्र के अभिकथनों का समर्थन किया है। किन्तु इस साक्षी ने अन्तर्गत धारा–246 दं0प्रं0सं0 में अपनी जिरह में कहा है कि '' मेरी पुत्री मंजू कुमारी का विजय कुमार से विवाह हुआ था, मेरी पुत्री ने विजय कुमार के विरूद्ध दहेज प्रथा का दायर किया था, जिनमें अब समझौता हो गया है। मैंने गलत फहमी में लोगों के उकसाये पर यह परिवाद दायर कर दिया था। मेरे साथ किसी ने मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। विजय कुमार, विनोद, अंकित व सुशीला देवी मेरे घर में नहीं आये थे। ऐसी दशा में परिवादिनी द्वारा स्वयं के कथनों का अपनी प्रतिपरीक्षा में समर्थन नहीं किया जा रहा है।

परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–2 सुरेश चन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा अन्तर्गत धारा 244 दं0प्रं0सं0 में परिवाद पत्र के अभिकथनों का समर्थन किया है। किन्तु इस साक्षी ने अन्तर्गत धारा–246 दं0प्रं0सं0 अपनी जिरह में कहा है कि ''मेरी पुत्री मंजू का विवाह विजय कुमार के साथ हुआ था मेरी पुत्री ने लोगों के उकसाने पर परिवाद न्यायालय व फौजदारी न्यायालय में वाद दायर कियाथा जिसमें मेरी पुत्री ने विजय कुमार से समझौता कर लिया है। कोई विवाद शेष नहीं है। दिनॉक 04.02.2018 को सुबह 10 बजे विजय कुमार, विनोद, अंकित व सुशीला देवी मेरे घ ार पर नहीं घुसे थे न ही गाली गलौच दिया था न ही जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकार साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में परिवाद के अभिकथनों का समर्थन नहीं किया गया है।

परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–3 अविनाश ने अपनी मुख्य परीक्षा अन्तर्गत धारा 244 दं0प्रं0सं0 में परिवाद पत्र के अभिकथनों का समर्थन किया है। किन्तु इस साक्षी ने अन्तर्गत धारा–246 दं0प्रं0सं0 अपनी जिरह में कहा है कि ''मेरी बहन मंजू का विवाह विजय

कुमार के साथ हुआ था, मेरी बहन ने लोगों के उकसाने पर विजय कुमार के विरूद्ध दहेज प्रथा व अन्य मुकदमें दायर किये थे जिनमें अब समझौता हो गया है। विजय कुमार व मंजू में कोई विवाद शेष नहीं है। दिनॉक 04.02.2018 को सुबह 10 बजे विजय कुमार, विनोद, अंकित व सुशीला देवी मेरे घर पर नहीं घुसे थे न ही गाली गलौच दिया था न ही जान से मारने की धमकी दी थी न ही लात घूसों से मारा था। इस प्रकार साक्षी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में परिवाद के अभिकथनों का समर्थन नहीं किया है।

परिवादिनी का यह दायित्व है कि वह अभियुक्तगण के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करे। यदि वह अभियुक्तगण के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नही कर पाती है तो उसका लाभ सदैव अभियुक्तगण को ही दिया जायेगा। प्रस्तुत मामले में परिवादिनी स्वयं एवं उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगणगों ने अपने सशपथ साक्ष्य अर्न्तगत धारा 246 दं0प्र0सं0 में परिवाद–पत्र के कथनों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में परिवादी यह साबित करने में असफल रही है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.02.2018 को सुबह 10:00 बजे परिवादिनी मुकदमा वीना के घर में घुसकर गृह अतिचार कारित किया गया, गंदी–गंदी गालियां इस आशय से दी कि जिससे प्रकोपित होकर वह लोक शांति भंग करे व जान से मारने की धमकी दी । इससे स्पष्ट है कि परिवादिनी के साक्ष्य से यह भली भॉति साबित नहीं हो पा रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नही माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियुक्तगण विनोद, विजय, अंकित व सुशीला को सन्देह का लाभ देते हुये उन्हें अन्तर्गत धारा–452, 323 व 504 भां0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत होगा।

–: आदेश :–

अभियुक्तगण विनोद, विजय, अंकित व सुशीला को अन्तर्गत धारा– 452, 323 व 504 भां0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द0प्र0सं0 की धारा–437क के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्व में दाखिल बन्ध पत्र एवं उन्हीं प्रतिभुओं पर अगले 6 माह तक जमानत पर रहेगें।

दिनॉकः–31.01.2020

(जसवीर सिंह यादव)
अपर सिविल जज(सी0डि0) कक्ष सं0–6
बरेली।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा दिनॉकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनॉकः–31.01.2020

(जसवीर सिंह यादव)
अपर सिविल जज(सी0डि0) कक्ष सं0–06
बरेली।